

अन्य योजनाएँ

1) समेकित बाल विकास सेवा

प्रारंभ → 1975

- ICDS → Integrated Child Development Service
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपात करने वाली महिलाओं को स्वस्थ पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का संकीर्ण पैकेज प्रदान करने के उद्देश्य से।

2) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रारंभ → 2001

- प्रखण्डों के मुख्यालय से जुड़ने वाले रास्तों में पुल-पुलियों का निर्माण करके आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से।

3) गोकुल ग्राम विकास योजना

प्रारंभ → 2002

- दूध उत्पादन व बिक्री व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, चारागाह का विकास, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी, इत्यादि से गाँवों का विकास करने के उद्देश्य से।

4) झाखण्ड औद्योगिक पुर्नवास योजना

प्रारंभ → 2003

- राज्य में अवस्थित बृहद्, मध्यम तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के पुर्नवास के उद्देश्य से।

5) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना

प्रारंभ → 2005

- ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

6) झारखण्ड टूरिस्ट होम स्टे

प्रारंभ → 2009

- पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ।

7) मैक इन इंडिया

प्रारंभ → 25 सितंबर 2014

- विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा नये प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ।

8) मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना

प्रारंभ → 2015

- गाँवों का सांस्कृतिक / समाजिक / आर्थिक उत्थान करने के उद्देश्य से ।

9) योजना बनाओ अभियान

प्रारंभ → 2016

- राज्य के विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ।

10) दीनदयाल स्पर्श योजना

- SPARSH → Scholarship for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby

प्रारंभ → 3 नवम्बर, 2017

- कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 500 रुपये
- आठ टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य की प्रोत्साहित करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना है।

11) मुख्यमंत्री शहरी ग्राम विकास योजना

प्रारंभ → 18 दिसम्बर, 2017

- राज्य के शहरी क्षेत्रों के गाँवों का विकास करने के उद्देश्य से।
- इस योजना की शुरुआत सर्वप्रथम बिस्सा मुंडा के गाँव उलीहाट से की गई।

12) संपन्न योजना

प्रारंभ → 29 दिसम्बर 2018

- SAMPANN → The System for authority and management of pension

13) मुख्यमंत्री जन-पन योजना

प्रारंभ → 2016

- पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से।
- इस योजना के तहत लाभुकों को उनके स्वैच्छा से उनकी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया है तथा सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा।